

मांग संख्या 45  
मुख्य शीर्ष 2702

**मद कमांक 1**

राज्य में सिंचाई क्षेत्रों के अन्तर्गत जल उपभोक्ता संथा का निर्वाचन होना है, जिसके द्वारा अपने क्षेत्र में नहरों का अनुरक्षण व मरम्मत किया जाएगा। इसके लिए इस वर्ष अनुदान हेतु रूपये 15.00 लाख अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। शेष राशि विभागीय संबंधित मद के बचत से उपलब्ध करायी जाएगी। यह नवीन व्यय का मद है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद कमांक 2**

राज्य शासन ने जिला कांकेर में पी.व्ही. 81 जलाशय के मरम्मत कार्य को पूर्ण करने का निर्णय लिया गया था जिस हेतु इस वर्ष रूपये 98.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः रूपये 98,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद कमांक 3**

राज्य शासन ने उद्वहन सिंचाई योजनाओं के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए निकट भविष्य में निर्वाचित जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा अनुरक्षण कार्य किया जाएगा। इस हेतु अनुदान के रूप में संथाओं को अतिरिक्त राशि का उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। शेष राशि विभागीय संबंधित मद के बचत से उपलब्ध करायी जाएगी। यह नवीन व्यय का मद है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद कमांक 4**

राज्य शासन नलकूप योजनाओं के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु निकट भविष्य में निर्वाचित जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा अनुरक्षण कार्य किया जाएगा। इस हेतु अनुदान के रूप में संथाओं को अतिरिक्त राशि का उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। शेष राशि विभागीय संबंधित मद के बचत से उपलब्ध करायी जाएगी। यह नवीन व्यय का मद है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,50,000 का प्रावधान की आवश्यकता है।